

## राजू शर्मा के कथा साहित्य में सामाजिक जीवन-संघर्ष

उमा बणिचुल

शोधार्थी(पीएच.डी) हिन्दी विभाग

दक्षिण भारत हिन्दी प्राचार सभा

हैदराबाद मो.-9438202227

E-mail -ubanichul@gmail.com

व्यक्तियों का समूह ही समाज कहलाता है। समाज से संबंध रखने वाले को सामाजिक कहा जाता है। स्थिति और परिस्थिति को नियंत्रण करके आगे बढ़ते जाने का नाम ही जीवन है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर कठिनाई की सामना करना तथा स्थिति के साथ जुझना ही संघर्ष है। सामाजिक जीवन संघर्ष कहने से व्यक्ति या समुदाय अपना सामाजिक जीवन में मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक तौर पर तनावपूर्ण अवस्था को ही वाकिफ़ करता है। सामाजिक संघर्ष विभिन्न कारणों से उत्पन्न होता है। जैसे सामाजिक – आर्थिक कारण, समाज और सरकारी संरचनाओं के बीच विरोधाभास आदि।

खेती का काम करने वाले व्यक्ति को किसान कहा जाता है। इसलिए किसान का संबंध भूमि से है। ज़मीन किसान के जीवन का आधार है। वह खेती करके फसल उगाता है। उससे अपना भरण-पोषण करता है। किसान को कृषक, खेतीहर, कष्टकार, अन्नदाता आदि कहते हैं। किसान के जीवन का प्रत्येक क्षण संघर्ष से परिपूर्ण होता है।

किसान को जीने के लिए मुख्यतः दो क्षेत्रों में एक साथ संघर्ष करना पड़ता है। प्रकृति एवं जमींदार या साहकार आदि। आज़ादी से पूर्व जब विदेशी सत्ता ने हम पर शासन किया तब से ज़मींदारी प्रथा प्रचलित हुई। ज़मींदारों के माध्यम से विदेशी सरकार किसानों से लगान वसूल करता था। स्वतंत्रता के बाद भी कुछ दिनों तक यह प्रथा कायम रही। इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए ज़मींदारी प्रथा को हटाया गया तथा नए नियम-कानून बनाए गए। इन नियम कानूनों को सुविधावादी भू स्वामियों ने आसानी से नहीं माना तथा भूमि पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए उन्होंने सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। आज़ादी के बाद किसानों में अपना हक जताने की भावना तीव्र होने लगी। जिसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा।

न केवल शासन अपितु प्रकृति द्वारा भी समय-समय पर किसान के ऊपर अपना प्रभुत्व प्रकट किया गया। किसान प्रकृति को लेकर उत्पन्न होने वाली समस्याओं से ग्रस्त रहा जलवायु परिवर्तन, मृदा भौम जल, धरातलीय स्वरूप, मौसम परिवर्तन के साथ-साथ अर्थ ने भी किसान को प्रभावित किया। इस प्रकार कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में आर्थिक कारण महत्वपूर्ण माना जाता है जिसके अंतर्गत पूंजी, बाज़ार, कृषि, समर्थन, मूल्य आदि आते हैं।

राजू शर्मा के उपन्यास 'हलफनामा' के अंतर्गत स्वामीराम प्रसाद मुख्य पात्र है स्वामीराम निम्न वर्ग से संबंधित था। वह एक लघु किसान था जो सवेरा गाँव का निवासी था। गाँव में एक वक्त

ऐसा था जब मंदिर के पीछे की ज़मीन से जंगल शुरू होता था। सरोवर में सोलह हाथ पानी था। तीन पुशतों की मान्यता थी कि पनिया बाबा पानी से पैदा हुए हैं। पनिया बाबा की पैदाइश उस साल की मानी गई जब इंग्लैंड का गौरा राजा सिर पर ताज पहनने आया था। सोलह हाथ पानी वाले सरोवर में पनिया बाबा एक माह तक सामाधि लेकर रहे थे। समय बदला पहले जंगल खत्म हुआ, फिर वह सरोवर। इसका दुःख पनिया बाबा को सताता था इसलिए वह गाँव के नशे में डूबा रहता था। गाँव वालों में अटूट विश्वास था कि पनिया बाबा को पानी की दिव्य थाह थी। जहाँ पनिया बाबा खड़ा होकर अपनी लाठी उँगली पर नचा देता, समझो वहीं जल का स्रोत है। इसलिए गाँववाले उन्हें पनिया बाबा कहते थे की-

“स्वामी के सिर पर पानी का जुनून सवार था। सूखे ताल और कुएँ उसे बरदास्त नहीं होते थे।” वह पनिया बाबा की शरण में आया। स्वामी पानी की खोज में पनिया बाबा के साथ खूब घूमा और एक के बाद एक तीन बोरवैल डाले। परंतु फैल ही गए। स्वामीराम कर्ज में डूब गया इस कारण सूखे ताल और कुएँ के लिए स्वामी राम को संघर्ष करना पड़ा।

मिश्रीलाल जो सरकारी तंत्र का एक सेवक तथा लेखपाल है। वह गाँव के निवासियों से कहता है कि सिंचाई के लिए पानी का इन्तज़ाम करना जिन्दगी और मौत का सवाल बन गया है। कुओं में पानी नहीं है, सरकारी टयुबवैल एक बरस से खराब पड़ा है, निजी बोरिंग कम पड़े रहे हैं। नए बोरिंग गाड़ने के लिए ज़मीन कम पड़ रही है, जब की माँग खूब है। लोगों के सामने उसने प्रस्ताव रखा “जो किसान, खास तौर से छोटे और कमजोर किसान, जो नए बोरिंग डालने के इच्छुक हैं और जिनकी ज़मीन कमतर है या अनुपयुक्त है, उन्हें गाँव सभा की ज़मीन पर बोरिंग डालने की इजाजत प्रदान कर दी जाए। एक साल बाद अगर गाँव सभा चाहे तो उस किसान से थोड़ा किराया भी ले सकती है। इस, प्रस्ताव से गरीब काश्तकार का भला होगा और गाँव सभा में साधन भी बढ़ेंगे।” इससे यह स्पष्ट होता है कि मिश्रीलाल सरकारी तंत्र का आदमी होते हुए भी ज़मींदार व साहकार नीति का पक्षधर था। गाँव सभा की ज़मीन पर प्राइवेट बोरिंग डालने का सवाल नहीं होता, इसका कोई नियम नहीं, नहीं गाँव सभा का अधिकार है। सरकार को लोगों के हित के लिए कार्य करना होता है न कि शोषण के लिए। यह प्रस्ताव शोषण से कम नहीं था। इसके लिए भी मानसिक स्तर पर संघर्ष करना पड़ा। लाला एक साहकार तथा उच्चवर्गीय व्यक्ति था। परंतु स्वामीराम एक किसान एवं निम्न

वर्ग का आदमी था। स्वामीराम के लाला के जाल में न फँसने के कारण लाल सोच में पड गया था। उसने सीधे ताड लिया कि स्वामीराम उसके कारोबार तथा धन्धे के लिए बारूद की तरह खतरनाक है। इसलिए स्वामीराम के स्वाभिमान रूपी बीमारी के इलाज हेतु लाला ने उस पर बदनामी के दाग रूपी धब्बे लगाने का विचार बनाया यथा- “लाला ने अपार धीरज से काम लिया। उसके आदमियों ने धीरे-धीरे, बहुत महीन और मासम तरीकों से स्वामीराम को बदनाम करना उसके बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया एक बार, एक जगह कान में अफवाह फुसफुसा दो, दूसरी बार, अलग जगह इसका जोरदार खंडन कर दो। यह तरीका मौचिस को तीली देने की तरह था। बहुत तरह की बात फैलाई पनिया बाबा के साथ लफंगई, पादरी से तल्लुकात, बेटे का अलग होकर शहर में बस जाना, भाइयों के बीच कलह... शहर में एक औरत से अवैध सम्बन्ध होने की बात दबी जबान से कई बार सामने आई... अब मामला और बिगड गया है, पादरी की संगत में स्वामीराम को वेश्याओं के पास जाने का चस्का पड गया है।” इससे स्पष्ट होता है कि लाला जैसे उच्चवर्ग के लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए निम्न वर्गों को मानसिक कष्ट पहुँचाते हैं। स्वामीराम जैसे निम्न वर्ग के लोग अपने चरित्र को सँवारने के लिए प्रयास करते रहते हैं। कहानी के अन्त में देखा गया है कि स्वामीराम ने दुनिया से अलविदा कह दिया।

राजू शर्मा के कहानी संग्रह ‘शब्दों का खाकरोब’ की एक प्रमुख कहानी ‘मुकदमा’ है। मुकदमा कहानी का मुख्य पात्र पूरन है। वह पैंतीस साल का छोटा किसान था। उसके पास कुल मिला कर डेढ बीघा ज़मीन था। अपना खेत में दिन-रात परिश्रम करता था। कभी-कभी दूसरों के यहाँ काम करने के लिए भी चला जाता था। उसके पत्नी का नाम सुमति था। सुमति घर का काम करती तथा खेत में जा कर स्वामी हाथ भी बँटाती थी। वह भी कभी-कभी मजदूरी करने के लिए चली थी। पूरन गाँव में रहने वाला सीधा-साधा अनपढ़ आदमी था। मूलू, पूरन का चचेरा भाई था। वह पढा लिखा था तथा शहर में नौकरी करता था। मूलू ने पूरन के खिलाफ मुकदमा किया था। सरकारी कार्यालय के एक चंपरासी ने लापरवाही से पूरन को बताया- “मुकदमा किया है तुम्हारे खिलाफ अगले सोमवार को सुबह कचहरी आकर वकील कर लेना।” इससे ज्ञात होता है कि खूद की ज़मीन का हक लेने के लिए भी उसे मुकदमा लड़ना होगा। जिस ज़मीन को इतने सालों से खून पसीना बहाकर उसने अच्छे खेत में परिवर्तित किया था वह अब उसके पास नहीं रहेगी। उसके जीवन का बड़ा संघर्ष था। पूरन के नाम से सरकारी कार्यालय में मुकदमे की चिट्ठी आई थी। अपना हक पाने के लिए वह सुबह खतौनी नकल लेकर कचहरी पहुँच गया था। जहाँ जाकर वह वकील साहब को ढूँढने लगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी तो पास जाने पर उसे पता चला की वह एक टाइपराइटर अर्थात् लिखैया था। दोनों के बीच में संवाद रूप में वार्तालाप हुआ। कुछ ही देर में लिखैया ने पूरन से उसका सारा इतिहास उगलवा लिया और उससे कहने लगा- “एक बार जो कचहरी के चक्कर में फँस गया तो तीसरी पीढी

तक छुटकारा नहीं। इसलिए गोटी शुरू में ही फेंकनी पडती है।” इससे स्पष्ट होता है कि मुकदमे जैसे कार्य में सफलता पानी है तो मसौदा ठीक करना तैयार कर लेना चाहिए। बिन पानी सब सून की तरह मसौदा ठीक नहीं होगा तो मुकदमे में दम नहीं। अनपढ़ पूरन को मसौदा ठीक भला कैसे पता चलेगा? यह पूरन जैसे कृषक के जीवन के लिए बड़ा संघर्ष था। सरकारी ऑफिस से आई सरकारी चिट्ठी की कार्यवाही को आगे बढाने के लिए पूरन ने सुबह उठकर अपना दैनिक कार्य समाप्त करके कचहरी की ओर जाना तैय किया। कचहरी में चील-कौए रंग का चोगा पहनने वाले वकीलों को उसने देखा। वकीलों का यह पहनवा उसे खूब फब रहा था। उसके चारों तरफ मोटी-मोटी किताबें बिखरी थीं। वकील साहब के छोटे-मोटे काम के लिए एक मुंशी बैठा हुआ था। उस समय वकील साहब अपने स्थान पर नहीं बैठे थे मतलब उपस्थित नहीं थे। मुंशी ने बहुत सारे प्रश्न पूरन से पूछे और मुकदमे से संबंधित कागजात की जाँच करते हुए उन्हें इकट्ठा कर लिया एवं पूरन को बाहर बैठने के लिए कहते हुए मुंशी बोला- “ओजी, यहाँ तो पूरे दिन, पूरी रात का काम है, कचहरी कोई मजाक नहीं है, करो तो पता चलो।” इससे स्पष्ट होता है कि कचहरी कार्य इतना आसन नहीं कि चलते-फिरते कार्य को अंजाम दे दिया जाए। इसमें बहुत समय लगता है। किसान के लिए अपना खेत के कुर्क हो जाने के बाद दो वक्त का खाना ज़टा पाना भी बहुत मुश्किल होता है। मुकदमे के लिए भागदौड करना पूरन जैसे निम्न वर्गीय किसान के लिए दुष्कर कार्य था। यह पूरन के जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष था।

\*\*\*\*\*

### संदर्भ :-

- राजू शर्मा- हलफनामे, पृ.सं. - 126.
- राजू शर्मा- हलफनामे, पृ.सं. - 132.
- राजू शर्मा- हलफनामे, पृ.सं. - 136-137.
- राजू शर्मा- शब्दों का खाकरोब, मुकदमा, पृ.सं. - 7.
- राजू शर्मा- शब्दों का खाकरोब, मुकदमा, पृ.सं. - 8.
- राजू शर्मा- शब्दों का खाकरोब, मुकदमा, पृ.सं. - 10.